न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 133 / 2016

उनवान

1. अमर सिंह पिता विश्राम कंजर निवासी स्टेशननगर तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा मृतक के कायम मुकाम :—
   1 / 1 श्याम लाल पिता अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर
   1 / 2 कान्ती लाल पिता अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर
   1 / 3 रणजीत पिता अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती चन्दा पुत्री राधाकिशन कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्रीमती नाथी बेवा राधाकिशन कंजर निवासी स्टेशननगर,
4. रायसिंह पिता रामेश्वर कंजर निवासी स्टेशननगर,
5. श्रीमती गीता पत्नी रामेश्वर कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिवादी / अपीलार्थीगण

6. सुशीला पुत्री अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
7. पूर्णिमा पुत्री अमर सिह कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. कालु पिता जीतु उर्फ जीतियां सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर , हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा
2. श्रीमती मंजु बेवा रणजीत सिंह सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर , हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा
3. अजय पिता रणजीत सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर, हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. पूरण पिता मनोहरिया सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर, हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा
5. जेलर पिता मनोहरिया सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर, हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा वादीगण/रेस्पोडेण्ट्स
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 193/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.5.2016

अधिवक्तागण :-

1. श्री एच डी वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री एस एल वैद,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 7.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण मूल रूप से बागौर में मजरा लक्ष्मणगढ कॉलोनी के निवासी है । उनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :-

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. ग्राम बागौर तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख साबिक जमाबंदी संवत 2009 से 2024 तक में दर्ज आराजी नम्बर 6/71 रकबा 0.05 बिस्वा आराजी नम्बर 7/72 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/73 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/156, 6/157, 6/158 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भज्जा वल्द रामा कंजर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है, जिसके सेटलमेण्ट ऑपरेशन के दौरान नवीन परिवर्तित आराजी नम्बर कायम हुए । जिसको नवीन राजस्व अभिलेख में भी भज्जा वल्द रामा कंजर के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित किया गया है। नवीन परिवर्तित आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा आता चाह, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा है। जिस पर वादीगण अपने पूर्वज जीतु वल्द सोला सांसी के जमाने से टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से लगातार काबिज चले आ रहे हैं, तथा राजस्व लगान भी सरकार की अदा करते हुए चले आ रहे हैं। जिसका राजस्व लगान साबिक रेकार्ड अनुसार दस रूपये दो आना नवीन रेकार्ड अनुसार 7 रूपये 14 पैसे निर्धारित है।

3. भज्जा वल्द रामा कंजर के कोई संतान नहीं थी वह सन् 1955 में मजरा लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर की सकूनत छोडकर कहीं चला गया, राजस्व रिकार्ड में उसके फरार हो जाने बाबत भी अंकन किया हुआ है, जो सकूनत छोडकर कहॉ गया, कहॉ रहा , वह जीवित भी है या नहीं, इस बाबत ग्राम बागौर मे व आस–पास के क्षेत्र में न तो जाना गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

और न किसी को कोई जानकारी है। इतना ही नहीं भज्जा वल्द रामा कंजर जो लक्ष्मणगढ कॉलोनी में रहता था, उसने कभी ग्राम कोलीखेडा के मजरा स्टेशनखेडा में अथवा आस–पास में निवास नहीं किया और न कभी रहा । प्रतिवादीगण अमर सिंह , चंदा, नाथी, राय सिंह व गीता ने साजिश कर मजरा लक्ष्मणगढ कोलोनी के निवासी भज्जा वल्द रामा कंजर जिसके कोई संतान नही नहीं थी के वारिस होना अपने आपको बताते हुए मिथ्या कथन करते हुए मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार, बागौर को उसकी 32 वर्ष पूर्व मृत्यु दिनांक 3.11.1969 को मृत्यु हो जाने की सूचना देकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके वादीगण को कोई जानकारी दिये बिना राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 2672 दिनांक 21.2.2011 को राजस्व एजेन्सी व ग्राम पंचायत, बागौर के सरपंच से मिलकर भज्जा वल्द रामा कंजर की विरासत से खाता रद्दोबदल करवा लिया। यही नहीं राजस्व एजेन्सी व ग्राम पंचायत ने भी भज्जा वल्द रामा कंजर जो सन् 1955 से ही सकूनत छोडकर कहीं चला गया , जिसके कोई वारिस नहीं था, कोई जांच पडताल किये बिना प्रतिवादीगण के नाम खाता रद्दोबदल करके राजस्व रिकार्ड में सर्वथा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया है जो सर्वथा गैर कानूनी है और उक्त विरासत का इन्द्राज सर्वथा मिथ्या होने से खरिज योग्य है। उक्त इन्द्राज से वादीगण किसी कदर पाबंद नहीं है।

4. वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा व दखल नहीं रहा, न कभी काश्त ही की और न कभी राजस्व लगान ही अदा किया, बल्कि वादीगण के पूर्वज स्व0 श्री जीतु वल्द सोला सांसी ही वादग्रस्त आराजियात पर टिनेन्सी एक्ट प्रभावशाली होने से पूर्व से ही काबिज चले आ रहे थे, उनके बफात बाद उनकी बेवा सोहनी व उसके वारिसान लगातार काश्त कर उपयोग व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपभोग कर काबिज चले आ रहे हैं तथा लगातार अब तक राजस्व लगान भी अदा करते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि भज्जा वल्द रामा कंजर ने सकूनत छोडने से पूर्व स्व0 जीतु वल्द सोला सांसी से 241/—रूपये नकद लेकर दिनांक 28.5.53 को उक्त वादग्रस्त आराजियात जो जालमा सांसी की आराजियात से सटी हुई 16 बीघा के लगभग भूमि बेचान कर दी । जिसके प्रमाण के तौर पर एक विक्रय पत्र निष्पादित अपना अंगूष्ठ निशानी कर दी थी। इस कारण स्व0 जीतु वल्द सोला सांसी टिनेन्ट एक्ट के प्रभावशील होने के पूर्व से ही काबिज थे, तथा लगान राज्य सरकार को अदा करते रहे थे। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का उनके पूर्वज स्व0 जीतु वल्द सोला सांसी का कब्जा व दखल होने से पूर्व से ही अब तक नियमित रूप से वादीगण द्वारा राजस्व लगान प्रतिवादी भूमि धारक को अदा करते रहने से एवं प्रतिवादी भूमि धारक द्वारा भी वादीगण से लगातार राजस्व लगान प्राप्त करते रहने से वादग्रस्त आराजियात को वादीगण की टिनेन्सी की होना मान लिया है। इसलिए यह अभिस्वीकृति स्वीकृत काश्तकार की हो गई है। इसलिए वादीगण का लम्बे समय से लगातार वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा व दखल होने से एवं निर्धारित लगान लगातार जमा कराते रहे ने से भज्जा वल्द रामा कंजर के द्वारा छोडी गई भूमि के टिनेन्सी राईट नामान्तरकरण संख्या 2672 दिनांक 21.2.2011 की स्वीकृति आदेश से पूर्व ही समाप्त हो चुके थे, जौ गैर कानूनी नामान्तरकरण से प्रतिवादीगण के टिनेन्सी राईट कतई पुनर्जीवित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार रेकार्डेड खातेदार के टिनेन्सी राईट एक्स्टेंग्वीस्ड हो जाने से वादग्रस्त आराजिया पर स्व0 जीतु वल्द सोला सांसी एवं उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके वारिसान वादीगण को टिनेन्सी राईट अर्जित हो जाने के कारण उन्हें वादग्रस्त आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराने का वैधानिक अधिकार है।

5. वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का भौतिक आधिपत्य होने से प्रतिवादीगण ने कब्जेयाबी का वाद वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करके पुष्टि कर दी है। प्रतिवादी का कब्जेयाबी का वाद निर्धारित समयावधि से बाहर होने से उन्होनें कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत करके 16.7.2012 को वाद का प्रत्याहरण कर लिया है। इस कारण अब प्रतिवादीगण के सारे विधिक रास्ते बन्द हो चुके हैं, इसी वादग्रस्त आराजियात बाबत नया वाद अथवा प्रतिदावा प्रस्तुत करने से प्रतिवादीगण कानूनन प्रवारित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का 59 वर्षो से भौतिक आधिपत्य है और राजस्व अभिलेख में भज्जा वल्द रामा कंजर के स्थान पर अवैध रूप से प्रविष्टि करवाकर प्रतिवादीगण ने पुलिस वालों से मिलकर रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने जाने की आड में वादीगण को वादग्रस्त आराजियात पर काश्त न करने बाबत प्रतिवादीगण ने थाना बागौर के पुलिस कर्मियों से साजिश कर दिनांक 1.7.2012 से वादीगण को बेदखल करने एवं वादग्रस्त आराजियात को अंतरण कर खुर्द बुर्द करने की धमकियॉ देना प्रारंभ कर दिया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के इस कुत्सित प्रयास को विफल कर बोवणी हो जाने से बहुत मुश्किल से वादग्रस्त आराजियात में बुआई कर डाली है लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा धमकियॉ देकर वादीगण से लडाई झगडा करने से वादग्रस्त आराजियात की देख रेख करना बहुत मुश्किल हो रहा है,तथा वादीगण के अर्जित टिनेन्सी राईट को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो गया है, इसलिए प्रतिवादीगण के उक्त गैर कानूनी कृत्य पर अंकुश लगाने के लिए तथा वादीगण के सांपतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थाई व्यादेश से प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी न करने व वादग्रस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात को अंतरण न करने बाबत वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र पेश करना नितान्त आवश्यक हुआ है। अतः वाद अनुसार मौजा बागौर तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा आता चाह, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की घोषणा की डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 2672 दिनांक 21.2.2011 के जरिये भज्जा वल्द रामा कंजर के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम पर किये गये विरासत के अंकन को निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की जावे एवं वादग्रस्त आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा आता चाह, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को दखलंदाजी न करने से एवं उक्त आराजियात को अंतरण न करने से स्थाई व्यादेश से प्रतिबंधित करने की डिक्री वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे। ।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम बागौर तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख में संवत 2009 से 2014 की जमाबंदी में दर्ज आराजी नम्बर 6/71 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/72 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/73 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/156,6/157, 6/158 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा जमीन अपीलार्थीगण के पूर्वज भज्जा पिता श्रीरामा कंजर के नाम पर खातेदारी अधिकारों से दर्ज थी। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजी नम्बर के नवीन आराजी नम्बर राजस्व अभिलेख में कायम किये गये । तब भी उक्त जमीन भज्जा पिता रामा कंजर के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीधा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 03 बीघा , आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कायम किये गये। अपीलार्थीगण के पूर्वज जाति से कंजर होकर घुम्मकड जाति के व्यक्ति है तथा अन्य गॉवों मे जाकर अपनी आजीविका कमाते है और बरसात में पुनः अपने गांव लौट आते हैं। अपीलार्थीगण मूलतः ग्राम बागौर के निवासी हैं और कालान्तर में माण्डल रेल्वे स्टेशन के सहारे बस्ती का निर्माण हुआ जिसमें आजीविका का साधन होने से अपीलार्थीगण का परिवार स्टेशन नगर में ही निवास करने लग गया। चूंकि बागौर एवं स्टेशननगर की दूरी 14 किलोमीटर थी इस कारण अपीलार्थीगण ग्राम स्टेशननगर माण्डल में रहते हुए बागौर जाकर अपनी जमीन पर निरन्तर काश्त करते रहते हैं। उक्त जाति अनपढ एवं अपीलार्थीगण सभी अनपढ व्यक्ति

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थे, इस कारण उक्त पैतृक जमीन का भज्जा के मरने के बाद नामान्तरकरण नहीं खुलाया, किन्तु पीढी दर पीढी उक्त जमीन पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। कालान्तर में उन्हे यह जानकारी हुई तो दिनांक 21.2.2011 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 2672 के उक्त जमीन का खाता रद्दोबदल करवा लिया । रेस्पोडेण्ट्स का वादग्रस्त आराजियात से कोई वास्ता नहीं है भी अपीलार्थीगण की अशिक्षा का लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजियात को हडपने के उद्धेश्य से विधिविरूद्ध वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा रहा है एवं लगान जमा कराते आ रहे है एवं उक्त जमीन भज्जा से क्रय कर रखी है। दसहनए वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम दर्ज की जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का सूक्ष्म मनन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वर्तमान जमाबंदी में अपीलार्थी सुशीला एवं पूर्णिमा का नाम दर्ज है, जो विवादित आराजियात में खातेदार काश्तकार है, जिन्हें अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्टगण/वादीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है। इनके पक्षकार बनाये जाने के अभाव में रेस्पोडेण्टगण/वादीगण का वाद काबिज खारिज था। क्योंकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी सम्पति से किसी व्यक्ति को बेदखल करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है जबकि अधिनस्थ न्यायालय आवश्यक पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.10.2016 को नियत थी, उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये बिना ही राजस्व लोक अदालत में निर्णय कर दिया गया । जबकि उक्त अभियान में उन्हीं प्रकरणों का निर्णय किया जाना विधिसम्मत है जहॉ दोनों पक्षों में आपस में राजीनामा हो जबकि उक्त प्रकरण में कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निर्णय लोक अदालत कैम्प बागोर में किया एवं उक्त लोक अदालत कैम्प में भी अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर राज्य सरकार की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। क्योंकि अपीलार्थीगण के नाम राज्य सरकार द्वारा खोले गये थे, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण के बारे में वास्तविक तथ्यों के बारे में तहसीलदार, माण्डल एव नायब तहसीलदार माण्डल को समुचित जानकारी थी , किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत एक विक्रय पत्र जो 241 / –रूपये में वादग्रस्त आराजियात को क्रय करने बाबत प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज न तो स्टाम्प पर लिखा गया है एवं न ही रजिस्टर्ड है, फिर भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त दस्तावेज को आधार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वाद पत्र को स्वीकार करने में भारी भूल की है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का पीढियों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को नहीं मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहते राजस्व अभियान चले उसमें कैम्प में अपीलार्थीगण को यह कहा गया कि आपके प्रकरण का निस्तारण हो चुका है और आपके पक्ष में निर्णित कर दिया गया है। इस कारण अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण ने पेशी पर जाना बन्द कर दिया । जिसका वादीगण ने विधिविरूद्ध लाभ उठाकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश करा लिये। पटवारी हल्का के मौके पर जानकारी देने पर अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। तब अविलम्ब अपील न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में 2016 (3) डी एन जे राजस्थान पेज 1373 एवं 2012 (1) डी एन जे राजस्थान पेज 405, 2014 (2) डी एन जे राजस्थान पेज 644, 2014 डी एन जे (एस सी) पेज 228, आर आर डी 1990 पेज 629, 2012 (1) डीएन जे (राजस्थान) पेज 405, की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

15. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम बागौर तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख में संवत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2009 से 2014 की जमाबंदी में दर्ज आराजी नम्बर 6/71 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/72 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/73 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/156,6/157, 6/158 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा जमीन भज्जा पिता श्रीरामा कंजर के नाम पर खातेदारी अधिकारों से दर्ज थी। वादग्रस्त आराजियात पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण अपने पूर्वज जीतू पिता सोला सांसी के जामन से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही लगातार काबिजकाश्त चले आ रहे हैं तथा राजस्व लगान भी जमा कराते आ रहे है। साबिक आराजी नम्बर 6/71 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/72 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/73 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/156,6/157, 6/158 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा के भू प्रबन्ध के उपरान्त हाल आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीधा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 03 बीघा , आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कायम किये गये । भज्जा पिता रामा कंजर के कोई संतान नहीं थी। सन् 1955 से मजरा लक्ष्मणगढ कॉलोनी, बागौर की सकूनत छोडकर कहीं चला गया । राजस्व रेकार्ड में भज्जा पिता रामा कंजर के फरार होने बाबत भी अंकन किया गया था।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भज्जा पिता रामा कंजर सकूनत छोडकर कहॉ गया, कहॉ रहा और कहॉ पर मरा वह जीवित भी है या नहीं इस बाबत किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। भज्जा पिता रामा कंजर ने कभी भी ग्राम कोलीखेडा के मजरा स्टेशननगर में अथवा उसके आस–पास में कभी भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवास नहीं किया । अपीलार्थीगण जो कि लक्ष्मणगढ के निवासी है । भज्जा पिता रामा के कोई संतान नहीं होने के बावजूद अपने आपको वारिस बताते हुए मिथ्या कथन करके एवं मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 2672 दिनांक 21.2.2011 को राजस्व एजेन्सी से एवं सरंपच से मिलीभगत कर विरासत से नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया ।

17. प्रत्यर्थीगण / वादीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जाकाश्त होने का कथन किया है परन्तु वादग्रस्त आराजियात पर उनका कभी कब्जा काश्त रहा हो उसके बारे में कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया । इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना लगातार कब्जा होने संबंधी दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये। राजस्व लगान भी प्रत्यर्थीगण जमा कराते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार भज्जा पिता रामा कंजर ने सकूनत छोडने से पूर्व ही स्वर्गीय जीतू पिता सोला सांसी से 241 / –रूपये लेकर दिनांक 28.5.1953 को उक्त वादग्रस्त आराजियात जो कि जालमा सांसी की आराजियात से सटी हुई है जिसे विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। इस बाबत खातेदार भज्जा पिता रामा कंजर ने विक्रय पत्र का निष्पादन भी किया एवं अपनी अंगूठा निशानी की है। वादग्रस्त आराजियात पर भू प्रबन्ध से पूर्व ही प्रत्यर्थीगण के पूर्वज जीतू पिता सोला सांसी एवं उसके उपरान्त अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चले आने से अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी नम्बर 6/71 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/72 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/73 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 6/156,6/157, 6/158 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा के भू प्रबन्ध के उपरान्त हाल आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीधा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 03 बीघा , आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कायम किये गये । भज्जा पिता रामा कंजर का वादग्रस्त आराजियात में भू प्रबन्ध से पूर्व भी नाम दर्ज था एवं भू प्रबन्ध के उपरान्त हाल आराजी नम्बर मे भी उसीका नाम दर्ज रेकार्ड रहा। वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार भज्जा पिता रामा कंजर ने सकूनत छोडने से पूर्व ही स्वर्गीय जीतू पिता सोला सांसी से 241/—रूपये लेकर दिनांक 28.5.1953 को उक्त वादग्रस्त आराजियात जो कि जालमा सांसी की आराजियात से सटी हुई है जिसे विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वादीगण के पिता जीतू पिता सोला सांसी है। वादीगण का कब्जा भू प्रबन्ध से पूर्व से चला आ रहा था । भज्जा पिता रामा कंजर सकूनत छोडकर चला गया उसके कोई संतान नही थी। उसके बावजूद अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने भज्जा पिता रामा कंजर के वारिसान स्वयं को बताकर विरासत से नामान्तरकरण खुलवा लिया । जबकि वादीगण वादग्रस्त आराजी को क्रय के आधार पर एवं लगातार कब्जे के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधार पर खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण प्रत्यर्थीगण / वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया ।

19. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2009 से 2012 में वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 6 / 71 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 6 / 72 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 6 / 73 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 6 / 156,6 / 157, 6 / 158 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 13 का खातेदार भज्जा पिता रामा कंजर साकिन लक्ष्मणगढ दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत 2017 से 2020, प्रदर्श 3 जमाबंदी बागौर संवत 2013 से 2016, खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 प्रदर्श 5 एवं प्रदर्श 6 , खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 प्रदर्श 7, प्रदर्श 8, प्रदर्श 9 , खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2019 प्रदर्श 10, प्रदर्श 11, खसरा गिरदावरी ग्राम बागौर संवत 2022 से 2033 प्रदर्श 12, प्रदर्श 13, खसरा गिरदावरी संवत 2026 से 2027 प्रदर्श 14, खसरा गिरदावरी संवत 2029 से 2030 प्रदर्श 15, खसरा गिरदावरी संवत 2025 से 2027 प्रदर्श 16, खसरा गिरदावरी संवत 2029 से 2032 प्रदर्श 17 प्रदर्श 21 खसरा गिरदावरी संवत 2035 से 2038, खसरा गिरदावरी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श 22, 23, 24, 25, खसरा गिरदावरी चौसाला संवत 2039 से 2042 प्रदर्श 26, 27, 28, 29, 30, 31 , खसरा गिरदावरी चौसाला संवत 2043 से 2046 प्रदर्श 32, 33, 34, खसरा गिरदावरी चौसाला संवत 2043 से 2046 प्रदर्श 35, 36, खसरा गिरदावरी चौसाला संवत 2047 से 2050 प्रदर्श 37, 38, 39, 40, 41, खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय संवत 2051 से 2054 प्रदर्श 42, 43, 44, 45,खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय संवत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2055 से 2058 प्रदर्श 46 47, में वादग्रस्त आराजियात के कृषक के रूप में नाम भज्जा पिता रामा कंजर का दर्ज चला आ रहा था।

20. ढाल बांछ संवत 2009 प्रदर्श 51, ढाल बांच संवत 2019 प्रदर्श 52, ढालबांछ संवत 2013 प्रदर्श 53, ढाल बांछ संवत 2014 प्रदर्श 54, ढालबांछ संवत 2015 प्रदर्श 55, ढाल बांछ संवत 2016 प्रदर्श 56, ढालबांछ संवत 2017 प्रदर्श 56, ढालबांछ संवत 2018 प्रदर्श 57, ढाल बांछ संवत 2019 प्रदर्श 58, ढाल बांछ संवत 2020 प्रदर्श 59, ढाल बांछ संवत 2032 प्रदर्श 59, ढाल बांछ संवत 2032 –2033 प्रदर्श 60, ढाल बांछ संवत 2021 प्रदर्श 61, ढाल बांछ संवत 2022 प्रदर्श 62, ढाल बांछ संवत 2023 प्रदर्श 63, ढाल बांछ संवत 2024 प्रदर्श 64, ढाल बांछ संवत 2025 प्रदर्श 65, ढाल बांछ संवत 2026 प्रदर्श 66, ढाल बांछ संवत 2027 प्रदर्श 67, ढाल बांछ संवत 2022 प्रदर्श 68, ढाल बांछ प्रदर्श 69 से 83 प्रस्तुत की है। खसरा भू प्रबन्ध विभाग संवत 2024 प्रस्तुत किया गया है जो प्रदर्श 84 लगायत 88 है। जिसमें वादग्रस्त आराजियात के साबिक आराजी नम्बर एवं भू प्रबन्ध के उपरान्त हाल आराजी नम्बर को दर्शाया गया है। जिसमें वादग्रस्त आराजियात के साबिक आराजियात के काश्तकार के रूप में एवं नवीन आराजी नम्बर के काश्तकार के रूप में भज्जा वल्द रामा कंजर का नाम दर्ज है। भू प्रबन्ध के उपरान्त नवीन आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीधा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 03 बीघा , आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार के रूप में भज्जा पिता रामा कंजर का नाम जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में दर्ज रहा है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2038 से 41, जमाबंदी संवत 2043 से 2046, जमाबंदी संवत 2047 से

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2050, जमाबंदी संवत 2051 ,जमाबंदी संवत 2055 से 2058, जमाबंदी संवत 2059 से 2062 में भी वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर आराजी नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 98 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 99 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 144 रकबा 03 बीघा , आराजी नम्बर 151 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार के रूप में भज्जा पिता रामा कंजर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज माण्डल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 188 की नामावली 1966 प्रदर्श 89 जिसमें सोहनी / जीत्या स्त्री का नाम क्रम संख्या 718 पर दर्ज है, इसी प्रकार माण्डल (138) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1971 भाग नम्बर 96 , प्रदर्श 90 जिसमें सोहनी / जीत्या स्त्री का नाम क्रम संख्या 718 पर दर्ज है प्रोफार्मा घ प्रदर्श 91 जिसमें नाथी पति राधाकिशन दर्ज है। फार्म संख्या अनुबन्ध द (1) प्रदर्श 92 है जिसमें नाथी पति राधाकिशन दादी ससुर भज्जा पिता रामलाल अंकित है। फर्द अहकाम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 93 है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र प्रदर्श 94 जो कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था उसकी प्रमाणित फोटो प्रति है।

21. अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 का जवाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 95 है, जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में वादग्रस्त आराजियात नामान्तरकरण संख्या 2672 दिनांक 21.2.2011 से विरासत से भज्जा पिता रामा के बजाय अमर सिंह, पिसरान चन्दा, पुष्पा, पुत्री राधाकिशन, नाथी पत्नि राधाकिशन, राय सिंह पिता रामेश्वर, गीता पत्नि रामेश्वर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कंजर के नाम दर्ज की मंजूरी हुई है। नामान्तरकरण रजिस्टर में भज्जा की मृत्यु की दिनांक 3.11.1969 अंकित की गई है। उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर में भज्जा पुत्र रामा कंजर के विरासत से विसरामा पुत्र एवं पत्नि गेन्दी अंकित है। जिसमें विसरामा की मृत्यु दिनांक 5.5.95 को होना पत्नि गेन्दी बेवा भज्जा के फौत हो जाने का अंकन किया गया है।

22. उक्त विरासत से नामान्तरकरण विरासत के आधार पर बाद जांच किया गया है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में विरासत से दर्ज किया गया है जो कि दिनांक 21.2.2011 को किया गया था। प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कथन है कि उन्होनें वादग्रस्त आराजियात को तत्कालीन खातेदार भज्जा पिता रामा कंजर ने सकूनत छोडने से पूर्व वादीगण के पूर्वज स्व0 जीतु वल्द सोला सांसी को 241/—रूपये नकद लेकर दिनांक 28.5.53 को उक्त वादग्रस्त आराजियात जो जालमा सांसी की आराजियात से सटी हुई 16 बीघा के लगभग भूमि बेचान कर दी । तभी से वादीगण का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने तथाकथित विक्रय पत्र की अप्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जो प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता को संदिग्ध करती है। उक्त तथाकथित विक्रय पत्र की मूल प्रति न तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है एवं न ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। उक्त विक्रय पत्र की अप्रमाणित प्रति को प्रदर्श 18 के रूप में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किया जाना अंकित है। जिसका अवलोकन किया गया । उक्त तथाकथित विक्रय पत्र न तो किसी स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है एवं न ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ही है। उक्त विक्रय पत्र में गवाह के रूप में किसी के हस्ताक्षर होना प्रकट नही है, जिसे साक्ष्य में बुलाया जा सके। अतः

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्टगण के पूर्वजों द्वारा भूमि क्रय किया जाना रिकार्ड से साबित नहीं होता है।

23. यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थीगण / वादीगण द्वारा तत्कालीन खातेदार भज्जा पिता रामा कंजर से वादग्रस्त आराजियात यदि दिनांक 28.5.53 को 241 / –रू0 में क्रय की गई तो इसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में तत्समय नहीं कराया गया एवं भू प्रबन्ध के समय भी इसके संबंध में प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने कोई कार्यवाही अपने नाम दर्ज कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका कोई कारण अपीलाण्ट / प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण के नाम विरासत से नामान्तरकरण हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजियात को अपने नाम दर्ज कराने के लिए वादीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। विरासत के नामान्तरकरण को निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही प्रत्यर्थीगण / वादीगण द्वारा नही की जाकर तथाकथित विक्रय पत्र व लम्बे समय से कब्जे के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया।

24. रेस्पोडेण्टगण / वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर अपने खातेदारी उद्घोषणा के क्रम में वादग्रस्त आराजियात पर क्रय तिथि से लगातार अपना कब्जा होने का कथन किया है, परन्तु अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना लगातार कब्जा लगातार होने तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो जाने के संबंध में कोई निरन्तर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न प्रदर्श 84 खसरा भू प्रबन्ध विभाग में नाम उप कृषक के रूप में मनोहरिया पिता जीतू कंजर दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 19 खसरा भू प्रबन्ध विभाग में भज्जा पिता रामा कंजर को वादग्रस्त आराजियात का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार काश्तकार दर्ज कर रखा है एवं उप कृषक में मोहन पिता लछमन कंजर का नाम दर्ज है। ढाल बांछ संवत 2022 में मनोहर पिता जीतिया के नाम के साथ रामा बलाई का नाम भी अंकित है।

25. ढाल बांछ संवत 2047 प्रदर्श 78 में मनोहर / बिन्दिया सांसी, एवं सोहनी पत्नि जीतिया सांसी का नाम भज्जा के साथ दर्ज है। इसी प्रकार ढाल बांछ प्रदर्श 79 में भज्जा पिता रामा के साथ सोहनी सांसी का नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी ढाल बांछ में प्रत्यर्थीगा अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित नहीं होना रिकार्ड से प्रकट होता है। ऐसे में निरन्तर कब्जे बाबत ढांल बांछ में निरन्तरता में कोई साक्ष्य न हो कर कतिपय ढाल बांछ में प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों में से किसी एक व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाने मात्र से प्रत्यर्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर लगातार कब्जा नहीं माना जा सकता ।

26. प्रत्यर्थीगण का कथन है कि उनका वादग्रस्त आराजियात पर क्रय तिथि से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा था परन्तु राजस्व रेकार्ड में उनका नाम दर्ज नहीं होने से भज्जा वल्द रामा कंजर के नाम से ही जिन्स गिरदावरी में काश्त किया जाना अंकित रहा है। प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा लगातार रहा हो इस संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है परन्तु स्वयं के कब्जे को पर्याप्त साक्ष्य से साबित नहीं कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 1 तथाकथित अप्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.5.1953 जिस पर भज्जा कंजर की निशानी होना एवं विक्रय पत्र को 30 वर्ष से अधिक पुराना होने एवं विक्रय पत्र को लिखने वाले गिरधारी लाल बैरवा की मृत्यु होने से उनके पुत्र शंकर लाल बैरवा पी डब्ल्यू 2 द्वारा अपने पिता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की लेखनी व उनके हस्ताक्षर को पहचानने को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रदर्श 2 का अवलोकन किया गया । यह अप्रमाणित, अपंजीकृत दस्तावेज है जिसकी सत्यता संदेहास्पद है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण को भी इस दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह होना स्पष्ट होता है अन्यथा विक्रय पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के आधार पर ही पूरा दावा आधारित होता। प्रत्यर्थीगण/वादीगण के मूल वाद पत्र में बिन्दु संख्या 4 में प्रदर्श 2 का जिक्र किया है, परन्तु साथ ही इस दस्तावेज के आधार पर लगातार कब्जे का भी अंकन कर रिकार्डेड खातेदार के खातेदारी अधिकार एक्स्टेंग्वीस्ड हो जाने से खातेदारी उद्घोषणा चाही है। मेरा विनम्र अभिमत है कि विक्रय पत्र की अपंजीकृत, अप्रमाणित प्रति को संदेह से परे प्रामाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता । अतः इस आधार पर किया गया निष्कर्षण विधिसम्मत नहीं है।

27. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 जो प्रदर्श 9 है। जिसमें जीतू सांसी का कब्जा होने का उल्लेख है तथा खसरा पत्रक संवत 2025 में मनोहर पिता जीतू सांसी के उपकृषक के रूप में कब्जा होने का अंकन है, तथा ढाल बांछ संवत 2019 जिसमें मनोहरिया पिता जीतिया सांसी द्वारा जमा कराने का उल्लेख है एवं इसी प्रकार ढाल बांछ संवत 2021 व 2022 में भी लगान जमा कराने वाले के नाम में मनोहरिया पिता जीतिया सांसी का उल्लेख है। उक्त दस्तावेजों को आधार मानकर प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा अपना 59 वर्ष से कब्जा होना बताया है, परन्तु यह स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वादग्रस्त आराजियात पर लगातार कब्जा साबित नहीं है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वार्षिक लगान का भुगतान जीतु उर्फ जीतिया के पुत्र मनोहरिया सांसी के द्वारा भूमिधारी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अदा किया जाना पाया है। परन्तु लगान अदायगी के क्रम में पत्रावली में संलग्न ढाल बांछ का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मात्र संवत 2047 में ही लगान अदायगी मनोहरिया द्वारा किये जाने का अंकन है, व लगातार लगान अदायगी के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। रिकार्डेड खातेदार भज्जा के फुटस्टेप में मात्र 2–3 बार सामलाती रूप से लगान जमा करा देने से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो जाते हैं। हमनें संवत 2009 से 2070 की प्रत्यर्थीगण/वादी द्वारा प्रदर्शित ढाल बांछ का अवलोकन किया। अधिकांश ढाल बांछ से वादीगण /प्रत्यर्थीगण के दावे की पुष्टि नहीं होती है। रिकार्डेड खातेदार भज्जा की मृत्यु से पूर्व भज्जा पिता रामा कंजर के वर्ष 1955 में फरार होने, उसका कोई अता–पता नहीं होने, व उसके कोई औलाद नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। मात्र ढाल बांछ संवत 2015 में व खसरा गिरदावरी में अंकन के आधार पर कोई निष्कर्षण किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ढाल बांछ अथवा खसरा गिरदावरी किसी खातेदार के फरार होने की प्रामाणिक साक्ष्य नही है। वादी/प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष साबित करने के लिए ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी। जिनके अभाव में किया गया निष्कर्षण विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र माण्डल की वर्ष 1966 की मतदाता सूचियों में भज्जा पिता रामा नामक व्यक्ति का नाम नहीं होने से भज्जा की दिनांक 3.11.1969 को मृत्यु होने बाबत कोई निष्कर्षण निकालना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। भज्जा पिता रामा की मृत्यु बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इस आधार पर ही नामान्तरकरण खोला गया है। रिकार्डेड खातेदार के विधिक वारिसान द्वारा विधिक प्रकिया अपना कर कराये गये नामान्तरकरण को प्रत्यर्थी/वादीगण का पक्ष

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साबित नहीं हो जाने तक निरस्त किया जाना उचित नही समझते हैं। वादीगण/प्रत्यर्थीगण का जिस आधार पर अपना दावा लाये हैं, उसे साक्ष्य सबूत के अभाव में प्रमाणित करने में असफल रहे है। निर्विवाद साक्ष्य सबूतों के द्वारा विक्रय होना साबित नहीं कराया गया है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रमाणित, अपंजीकृत प्रतिलिपि मात्र को प्रदर्श किया जाकर प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में वाद पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । जहॉ तक तथाकथित विक्रय पत्र का संबंध है वह संदिग्ध दस्तावेज है वह अपंजीकृत व अप्रमाणित प्रति है जिस पर किसी गवाह के हस्ताक्षर तक नहीं है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण किसी विक्रय पत्र अथवा निरन्तर कब्जे के आधार पर अपना प्रकरण साबित नहीं कर सकने के बावजूद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर भज्जा के वारिसान के खातेदारी अधिकार समाप्त कर विरासत के नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रत्यर्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यदि भज्जा पिता रामा लम्बे समय तक गायब था, तथा उसकी मृत्यु से पूर्व उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं पाया गया, तो भी भज्जा की मृत्यु होना प्रमाणित होता है। रिकार्डेड खातेदार भज्जा की मृत्यु उपरान्त विधिवत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होकर विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। वादीगण/प्रत्यर्थीगण किसी विक्रय पत्र अथवा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उद्घोषणा बाबत अपना पक्ष साबित नहीं करा सकें हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विधिक वारिसान को खातेदारी अधिकारों से वंचित किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर विधिक त्रुटि की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

28. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 को निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

29. निर्णय आज दिनांक 07.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 133 / 2016

उनवान

1. अमर सिंह पिता विश्राम कंजर निवासी स्टेशननगर तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा मृतक के कायम मुकाम :–
1/1 श्याम लाल पिता अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर
1/2 कान्ती लाल पिता अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर
1/3 रणजीत पिता अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती चन्दा पुत्री राधाकिशन कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्रीमती नाथी बेवा राधाकिशन कंजर निवासी स्टेशननगर,
4. रायसिंह पिता रामेश्वर कंजर निवासी स्टेशननगर,
5. श्रीमती गीता पत्नी रामेश्वर कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिवादी / अपीलार्थीगण

6. सुशीला पुत्री अमर सिंह कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
7. पूर्णिमा पुत्री अमर सिह कंजर निवासी स्टेशननगर, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. कालु पिता जीतु उर्फ जीतियां सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर , हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा
2. श्रीमती मंजु बेवा रणजीत सिंह सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर , हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा
3. अजय पिता रणजीत सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर, हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. पूरण पिता मनोहरिया सांरी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर , हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा
5. जेलर पिता मनोहरिया सांसी निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर , हाल निवासी कांवा खेडा कच्ची बस्ती, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के पास भीलवाडा वादीगण / रेस्पोडेण्ट्स
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 193 / 2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.5.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 133 / 2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 7.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एच डी वर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस एल वैद अधिवक्ता एवं राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 7.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2016 को निरस्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 7.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस